भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 841

25 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"फेम-।। राजसहायता"

841. श्री दयानिधि मारन:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) ने नीति आयोग से संपर्क कर आरोप लगाया है कि भारत में (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण) (फेम इंडिया)-। नीति/योजना को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) पिछले 18 महीनों से फेम-।। राजसहायता को बंद करने के सरकार के निर्णय के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजसहायता रोके जाने से राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी चार्टर और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को समग्र रूप से अपनाने पर प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) फेम-।। राजसहायता के अंतर्गत ऑटो विनिर्माताओं द्वारा निधि के कथित दुर्विनियोजन को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार उक्त प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का बिक्री, ईवी अपनाने, मूल उपकरण निर्माताओं और स्टार्टअप के अस्तित्व पर राजसहायता रोके जाने के प्रभाव के संबंध में एसएमईवी द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का समाधान करने का विचार है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (च): भारी उद्योग मंत्रालय को पिछले 18 महीनों में फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के तहत 17 मूल उपकरण विनिर्माताओं के विरुद्ध मुख्यतः दो पहलुओं से संबंधित शिकायतें मिली थीं जो पीएमपी अनुपालन और एक्स-फैक्टरी मूल्य के उल्लंघन से संबंधित थीं। इसके अलावा, जिन शिकायतों के मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता थी, उन मामलों में आर्थिक प्रोत्साहन का भुगतान रोका गया था।

आरोपित मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. मांग प्रोत्साहन का वितरण स्थगति किया गया।

ii. विस्तृत जांच के लिए मामला भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसियों को भेजा गया।

आरोपित ओईएम के संबंध में परीक्षण एजेंसियों की रिपोर्ट की जांच में यह पाया गया कि छह मूल उपकरण विनिर्माताओं ने पीएमपी का पूरी तरह से अनुपालन किया था जबकि अन्य सात ओईएम के मामले में पीएमपी मानदंडों का उल्लंघन पाया गया।

इसके अलावा,चार मूल उपकरण विनिर्माताओं ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के ग्राहकों/खरीदारों को एक्स-फैक्ट्री मूल्य के उल्लंघन के लिए अतिरिक्त राशि वापस करने पर सहमति प्रकट की है।

***